न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
24 / 2025	13.02.2025	12.05.2025

बउनवान

1. श्यामलाल पुत्र श्री रामविलास जाति ब्राह्मण निवासी सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाशचन्द पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा निवासी ब्राह्मण निवासी सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र मे मिन प्रार्थी ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 1133 / 0.73 हैक०, व आराजी ख० नं० 153 / 0.98 हैक०, वाके ग्राम सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
4. यह है कि मिन प्रार्थी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार से है।

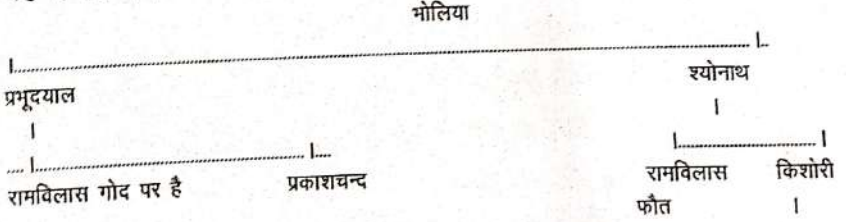

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

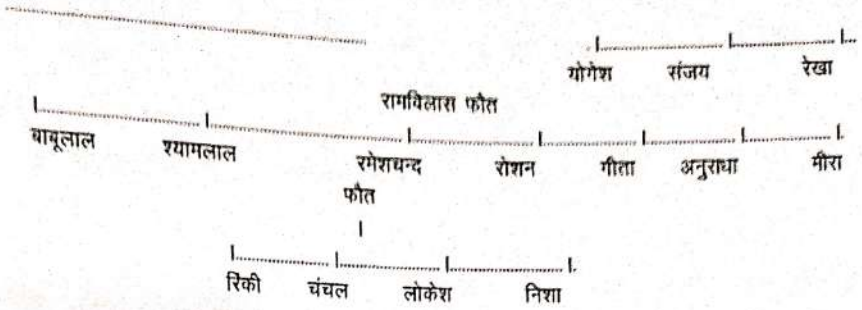

5. यह है कि मिन प्रार्थी के दादा श्योनाथ के फौत होने के बाद मिन प्रार्थी की दादी नारायणी का नाता प्रभूदयाल के साथ जोड दिया गया था क्योंकि प्रभूदयाल बिना शादी शुदा था जिसके कोई औलाद नहीं थी। जिस समय मिन प्रार्थी का पिता रामविलास को भी सभी सामाजिक रस्मे अदा कर प्रभूदयाल ने गौद ले लिया था गौद लेने के बाद मिन प्रार्थी का पिता रामविलास प्रभूदयाल के पास रहकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा तथा मिन प्रार्थी के पिता के सभी शैक्षणिक दस्तावेजात में मिन प्रार्थी के पिता का नाम प्रभूदयाल शर्मा दर्ज हो रहा है।
6. यह है कि मिन प्रार्थी की दादी नारायणी का नाता प्रभूदयाल के साथ होने के बाद एक संतान प्रकाशचन्द लडका पैदा हुआ है। चूंकि अब प्रभूदयाल व रामविलास दोनो फौत हो चुके है।
7. यह है कि मिन प्रार्थी का पिता प्रभूदयाल का जायज वारिस है जिस कारण मिन प्रार्थी के प्रभूदयाल की आराजी में बाई बर्थ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिम के तहत अधिकार रक्षित है। जिसे मिन प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।
8. यह है कि मिन प्रार्थी सीधा सज्जन ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है अप्राथर्थी सं० 1 चालाक और मुकदमें बाज व्यक्ति है, जिसने राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर बाला बाला प्रभूदयाल की आराजी का सम्पूर्ण भाग अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थी को अपने दादा प्रभूदयाल से विरासत में प्राप्त हुयी है। इसलिये उक्त अंकन गलत है, प्रभाव शून्य है। तथा मिन प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो के खिलाफ प्रभाव शून्य है, जिन्हे मिन प्रार्थी के अधिकारो तक प्रभाव शून्य घोषित किया जावे और मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादीगण को उक्त आराजी में 1ध्2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।
9. यह है कि अप्रार्थी सं० 1 दिगर लोगो से साज बाज हो रहा है और राजस्व रिकोर्ड में सम्पूर्ण आराजी अपने नाम होने का फायदा उठाकर आराजी को दीगर जगह रहन बैय मुन्तकिल करने पर उतारू है और अगर अप्रार्थी सं० 1 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थी और तरप्रतिवादीगण को अजहद क्षति होगी जिसकी पूर्ती करना नामुमकिन है तथा मिन प्रार्थी और तरप्रतिवादीगण के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है जिनकी रक्षार्थ हेतू मिन प्रार्थी अप्रार्थी सं० 1 को पाबंद कराने का अधिकारी है इसलिये अप्रार्थी सं० 1 का नाम मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादीगण के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

तक हजफ किया जाकर मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादीगण को 1ध्2 भाग की खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। इसलिये प्रार्थना पत्र इश्तकरारहक पेश करना आवश्यक आया है।

10. यह है कि मिन प्रार्थी ग्रामीण परिवेश व्यक्ति है, जिसे उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं थी अब दिनांक 15/01/2025 को पटवारी हल्का से उक्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड की नकले प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी जिस पर मिन प्रार्थी ने अप्रार्थी सं० 1 को राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त कराने बाबत कहा तो अप्रार्थी सं० 1 ने राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त करने से मना कर दिया और कहा कि मैं उक्त आराजी का बेचान करूंगा इसलिये अप्रार्थी सं० 1 को हु० ई० दवामी के इस अमर से पाबंद किया जावे कि वो उक्त विवादित आराजी को दिगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

11. यह है कि मिन प्रार्थी ग्रामीण परिवेश व्यक्ति है, जिसे उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं थी अब दिनांक 15/01/2025 को पटवारी हल्का से उक्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड की नकले प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी जिस पर मिन प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 को राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त कराने बाबत कहा तो अप्रार्थी सं० 1 ने राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त करने से मना कर दिया और कहा कि मैं उक्त आराजी का बेचान करूंगा बस यही तारीख बिनाय दावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है।

12. यह है कि उक्त विवादित आराजी मे मिन प्रार्थी के अधिकार सुरक्षित है, और अगर अप्रार्थी सं० 1 अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थी को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन होगा इसलिये मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है।

13. यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व तरप्रतिवादीगण के अधिकार सुरक्षित है, और प्रार्थी व तरप्रतिवादीगण अपने 1/2 भाग की खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।

14. यह है कि प्रभूदयाल ने मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादीगण के पिता को गांव समाज के लोगों के सामने सभी सामाजिक रस्मे में अदा कर गोद लिया था तथा प्रार्थी के पिता ने प्रभूदयाल की सेवा टहल की है जिस कारण मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादीगण के अधिकार प्रभूदयाल के हिस्से की आराजी में बाई बर्थ निहित है। लेकिन अप्रार्थी सं० 1 ने राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर उक्त आराजी का सम्पूर्ण भाग अपने नाम दर्ज कराया है। अर्थात उक्त विवादित आराजी दादालाई पैत्रिक सम्पति है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थना पत्र हु० ई० दवामी पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताःफैसला प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि आराजी ख० नं० हाल 1133/0.73 हैक०, व आराजी ख० नं0 153/0.98 है0, वाके ग्राम सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है को अप्रार्थी सं० 1 उक्त विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना आराजी को खुर्द बुर्द करे, रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा०दी० व धारा 212 राज० वनश्त० अधि० मिन अप्रार्थीस० 1 की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि पैरा स० 1 इतना स्वीकार है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही रखनी चाहीए।
2. यह है कि पैरा स० 2 गलत है, स्वीकार नही है, प्रार्थी ने नाकाबिल दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित नहीं है। काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
3. यह है कि पैरा स० 3 इतना स्वीकार है कि जिम्मन में वर्णीत आराजी वाके ग्राम सराय कलां तह० मुण्डावर में स्थित है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। आराजी किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है।
4. यह है कि पैरा स0 4 बाबत खानदान सजरा दर्ज किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है, रामविलास किसी प्रकार से प्रभूदयाल के गोद नही गया है तथा रामविलास का पिता श्योजी रहा है।
5. यह है कि पैरा स० 5 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर दावा अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि श्योजी से उसकी पत्नी नारायणी के रामविलास व किशोरी पैदा हुये तथा श्योजी के फौत होने के बाद, नारायणी ने प्रभूदयाल की चुडी पहन ली तथा प्रार्थी का पिता रामबिलास व किशोरी अपने पिता श्योजी की पैत्रिक सम्पति में ही निवास करते रहे तथा नारायण ने प्रभूदयाल की चुडी पहने के बाद, प्रभूदयाल के नुत्फे से नारायणी के मिन अप्रार्थी पैदा हुआ, जब मिन अप्रार्थी प्रभूदयाल के नुत्फे से नारायणी के पैदा हो गया था तो मिन अप्रार्थी के पिता द्वारा प्रार्थी के पिता रामबिलास को गोद लेने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के तहत किसी पुत्र के जीवित रहते हुये दुसरा पुत्र गोद नही लिया जा सकता है, तथा ना ही प्रार्थी के पिता रामविलास के पिता का नाम प्रभूदयाल दर्ज है, क्योकि वाद में वर्णीत आराजी ख0न0 153 रकबा 0.98 हैक०, में प्रार्थी के पिता के नाम श्योजी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

की विरास्त दर्ज हो रही है, यदि प्रार्थी के पिता रामबिलास के पिता का नाम प्रभूदयाल होता तथा रामबिलास गोद गया हुआ होता तो कानून मृतक श्योजी की विरास्त रामबिलास के नाम दर्ज नही होकर तन्हा किशोरी के नाम दर्ज होती। जिससे साबित है कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है।

6. यह है कि पैरा स० 6 इतना स्वीकार है कि नारायणी का नाता प्रभूदयाल के साथ होने के बाद एक सन्तान प्रकाशचन्द लडका पैदा हुआ है तथा अब प्रभूदयाल व रामबिलास दोनो फौत हो चुके है।
7. यह है कि पैरा स० 7 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी का पिता रामबिलास किसी भी प्रकार से प्रभूदयाल का जायज वारिस नही रहा है तथा ना ही मिन अप्रार्थी के पिता ने मिन अप्रार्थी के रहते हुये प्रार्थी के पिता को गोद लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थी मिन अप्रार्थी के पिता से गैर वास्ता है तथा गैर वास्ता को हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के तहत कोई अधिकार रक्षित नही होते है। प्रार्थी ने वदयान्ती पूर्वक मिन अप्रार्थी के पिता की आराजी को हडपने की नियत से दावा पेश किया है। जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होकर काबिल खारीज है।
8. यह है कि पैरा स० 8 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी बडा चतुर व बेईमान प्रवृति का व्यक्ति है, जो मिन अप्रार्थी के हिस्से की आराजी को हडपने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर दावा मय प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकी राजस्व कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार मिन अप्रार्थी के मृतक पिता की विरास्त का इन्तकाल मिन अप्रार्थी के नाम दर्ज किया है तथा प्रार्थी का पिता रामबिलास श्योजी का पुत्र रहा है तथा श्योजी के फौत होने पर श्योजी की विरास्त इन्तकाल प्रार्थी के पिता के नाम ख०न० 153 में दर्ज हो रही है। जिससे साबित है कि प्रार्थी के पिता रामबिलास का प्रभूदयाल से कोई लेना देना नही रहा है तथा ना ही किसी भी प्रकार से अपने आपको 1/2 भाग का कब्जेकाश्त खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
9. यह है कि पैरा स० 9 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर दावा अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है तथा मिन अप्रार्थी स० 1 किसी से साजबाज नही हो रहा है तथा अपने पिता से जरियें विरास्त प्राप्त आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है तथा कोई आराजी का बेचान नही किया जा रहा है तथा ना ही प्रार्थी का मिन अप्रार्थी की आराजी से कोई लेना देना है तथा प्रार्थी आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज है तथा ना ही प्रार्थी द्वारा किसी भी जिम्मन में यह दर्ज किया है कि प्रार्थी का मृतक पिता प्रभूदयाल की आराजी पर काबिज काश्त रहा है तथा आराजी प्रार्थी व तर० प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

को जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है, जिस पर प्रार्थी व तर० प्रतिवादीगण काबिज है, जिससे साबित है कि प्रार्थी व तर० प्रतिवादीगण आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज है तथा गैर वास्ता व गैर काबिज व्यक्ति को कोई नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नही होती है तथा गैर वास्ता व गैर काबिज व्यक्ति रिर्कोडेड खातेदार को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। वाद वादी काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।

10. यह है कि पैरा स० 10 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने जिम्मन हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या व मनघंडत दर्ज किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी को राजस्व रिर्कोड की जानकारी मिन अप्रार्थी के नाम अपने पिता प्रभूदयाल की विरास्त दर्ज होने से रही है तथा प्रार्थी ने कथित दिनांक की कहानी मनघंडत दर्ज की है तथा प्रार्थी आराजी से गेर वास्ता व गैर काबिज है तथा जब प्रार्थी का मिन अप्रार्थी की आराजी से कोई लेना देना ही नही है तो प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉड दूरुस्त कराने की कहने व मिन अप्रार्थी द्वारा बेचान करने की धमकी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थी को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। वाद वादी काबिले खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
11. यह है कि पैरा स० 11 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने जिम्मन हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या व मनघंडत दर्ज किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी को राजस्व रिर्कोड की जानकारी मिन अप्रार्थी के नाम अपने पिता प्रभूदयाल की विरास्त दर्ज होने से रही है तथा प्रार्थी ने कथित दिनांक की कहानी मनघंडत दर्ज की है तथा प्रार्थी आराजी से गेर वास्ता व गैर काबिज है तथा जब प्रार्थी का मिन अप्रार्थी की आराजी से कोई लेना देना ही नही है तो प्रार्थी द्वारा राजस्व रिर्कोड दूरुस्त कराने की कहने व मिन अप्रार्थी द्वारा बेचान करने की धमकी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी को कोई वाद हेतुक पैदा नहीं होता है। प्रार्थी का वाद बेरून मियाद होकर काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
12. यह है कि पैरा स० 12 गलत है, स्वीकार नहीं है। वादी आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज है तथा गैर वास्ता व गैर काबिज के कोई अधिकार कानून द्वारा रक्षित नही है इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थी को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।
13. यह है क पैरा स0 13 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से अपने आपकों 1/2 भाग का कब्जेकाश्त खातेदार घोषित कराने का अधिकारी नहीं है।
14. यह है कि पैरा स0 14 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने जिम्मन हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या व मनघंडत दर्ज किया है तथा जब मिन अप्रार्थी का पिता मिन अप्रार्थी के रहते हुये

उपखण्ड अधिकारी
गुढ़ागौड़ (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

किसी दिगर को गोद लेने का सवाल ही पैदा नही होता है तथा ना ही मिन प्रतिवादी के पिता ने कभी भी वादी के पिता को गोद लिया है, प्रार्थी अपने पिता रामबिलास की आराजी पर काबिज है, जो आराजी प्रार्थी के पिता को उसके दादा श्योजी से जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है, जिसका अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज हो रहा है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा मृतक प्रभूदयाल की विरास्त इन्तकाल मिन अप्रार्थी के नाम सही दर्ज किया है, आराजी प्रार्थी की किसी भी प्रकार से पैत्रिक नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी वाके ग्राम सराय कला में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी की दादालाई आराजी है। प्राथी के दादा श्योनाथ के फौत होने के बाद प्रार्थी की दादा नारायणी का नाता प्रभूदयाल के साथ जोड दिया गया था क्योकि प्रभूदयाल बिना शादी शुदा था जिसके कोई औलाद नही थी। जिस समय प्रार्थी का पिता रामनिवास को भी सभी सामाजिक रस्मे अदा कर प्रभूदयाल ने गौद ले लिया था गौद लेने के बाद प्रार्थी का पिता रामविलास प्रभूदयाल के पास रहकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा तथा प्रार्थी के पिता के सभी शैक्षिणिक दस्तावेजात में मिन प्राथी के पिता नाम प्रभुदयाल शर्मा दर्ज हो रहा है। प्रार्थी की दादी नारायणी का नाता प्रभूदयाल के साथ होने के बाद एक संतान प्रकाशचन्द लडका पैदा हुआ है चुकी अब प्रभूदयाल व रामविलास दोना फौत हो चुके है। प्रार्थी का पिता प्रभूदयाल का जायज वारिस है। जिस कारण मिन वादी के प्रभूदयाल की आराजी में बाई बर्थ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार रक्षित है। प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। यदी अप्रार्थी को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो अप्रार्थीगण विवादित आराजी का बेचान दीगर जगह कर देगा जिससे प्रार्थी को भारी से भारी क्षति होने का अन्देशा है। इसलिए अप्रार्थी को प्रार्थी के मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किये जाने का श्रम करे।

अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरा सही नही है रामविलास किसी प्रकार से प्रभूदयाल के गोद नही गया है तथा रामविलास का पिता श्योजी रहा है। जबकी वास्तविकता तो यह है कि श्योजी से उसकी पत्नी नारायणी के रामविलास व किशोरी पैदा हुये तथा श्योजी के फौत होने के बाद, नारायणी ने प्रभूदयाल की चुडी पहन ली तथा प्रार्थी का पिता रामबिलास व किशोरी अपने पिता श्योजी की पैत्रिक सम्पति में ही निवास करते रहे तथा नारायण ने प्रभूदयाल की चुडी पहने के बाद, प्रभूदयाल के नुत्फे से नारायणी के मिन अप्रार्थी पैदा हुआ, जब मिन अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रभूदयाल के नुत्फे से नारायणी के पैदा हो गया था तो मिन अप्रार्थी के पिता द्वारा प्रार्थी के पिता रामबिलास को गोद लेने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के तहत किसी पुत्र के जीवित रहते हुये दुसरा पुत्र गोद नही लिया जा सकता है, तथा ना ही प्रार्थी के पिता रामविलास के पिता का नाम प्रभूदयाल दर्ज है, क्योकि वाद में वर्णीत आराजी ख0न0 153 रकबा 0.98 हैक०, में प्रार्थी के पिता के नाम श्योजी की विरास्त दर्ज हो रही है, यदि प्रार्थी के पिता रामबिलास के पिता का नाम प्रभूदयाल होता तथा रामबिलास गोद गया हुआ होता तो कानून मृतक श्योजी की विरास्त रामबिलास के नाम दर्ज नही होकर तन्हा किशोरी के नाम दर्ज होती। जिससे साबित है कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को भारी से भारी जुर्माना लगाकर खारिज किया जावें।

पत्रावली, पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस सबूत/साक्ष्य/दस्तोवजात प्रस्तुत किये गये जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता हो कि प्रार्थी के पिता को प्रभूदयाल को गौद लिया हो। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होती है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी के उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में खारिज किया जाता है एवं आराजी ख० नं० हाल 1133/0.73 हैक०, व आराजी ख० नं0 153/0.98 है0, वाके ग्राम सरायकलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

यह **निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।**

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner